संख्या-2509/33-2-2019

प्रेषक,

प्रीति शुक्ला
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अध्यक्ष,
   जिला पंचायतें, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/
   मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनॉक 18 जुलाई 2019

विषयः-प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों से जिला पंचायतों के मुख्य अधिकारी का कार्य लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्राम्य विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7060/38-1-2604-85, दिनांक 21 अगस्त, 1990 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्तशासनादेश के प्रस्तर-5 में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्य विकास अधिकारी जिला परिषदों के मुख्य अधिकारियों का भी कार्य देखेंगे जो अब तक उन जनपदों में जहॉ विकास अधिकारी तैनात नहीं थे, अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी द्वारा किया जाता रहा है।

2- उक्त व्यवस्था का पालन न होने के फलस्वरूप इस सम्बन्ध में पुनः पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8958बी/33-2-90-900(4)/90, दिनांक 04 जनवरी, 1991 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उक्त शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 1990 के प्रस्तर-5 में दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के मध्य कार्य विभाजन संबंधी पूर्व निर्गत समस्त आदेशों को संशोधित कर पंचायती राज अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश संख्या-1113/33-2-2000-69जी/99, दिनांक 27 नवम्बर, 2000 द्वारा जिला पंचायतों के सुचारू कार्य संचालन के दृष्टिकोण से मुख्य अधिकारी(मुख्य विकास अधिकारी) एवं अपर मुख्य अधिकारियों के मध्य वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का विभाजन करते हुए कार्य एवं वित्तीय सीमा का निर्धारण किया गया एवं कई अन्य बिन्दुओं पर भी कार्यवाही के निर्देश दिये गये। उपरोक्त शासनादेशों में की गयी स्पष्ट व्यवस्थाओं के बावजूद वर्तमान में प्रदेश के किसी भी मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा जिला पंचायतों के मुख्य अधिकारी के रूप में अपने प्रशासनिक/वित्तीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है और न ही जिला पंचायतों के कार्यों में कोई योगदान किया जा रहा है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायतों के मुख्य अधिकारियों के रूप में अपने प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

18/7/19

(प्रीति शुक्ला)
सचिव।

Jayram Singh-Draft {E}-125

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0 को उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव।